

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3366] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 2019/आश्विन 22, 1941 No. 3366] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2019/ASVINA 22, 1941

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3701(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्यक्षेत्र स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, अंदमान और निकोबार (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, अंदमान और निकोबार कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(1)

(1) डॉ. पी.एम. मोहन, विभागाध्यक्ष, समुद्र और समुद्री जीवविज्ञान, पोंडिचेरी विश्वविद्यालय (अंदमान कैम्पस),

पोर्ट ब्लेयर-744112

(2) श्रीमती पर्ल देवदास,

-सदस्य:

-अध्यक्ष:

एस-3, सनराइज़ अपार्टमेन्टस्, दूध लाइन शादीपुर, पोर्ट ब्लेयर-744106

(3) निदेशक,

-सदस्य सचिव।

विज्ञान प्रौद्योगिकी,

अंदमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर।

5348 GI/2019

- 2. प्राधिकरण, अंदमान और निकोबार का अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- 3. प्राधिकरण, अंदमान और निकोबार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट हों।
- 4. प्राधिकरण, अंदमान और निकोबार अपने विनिश्चय, पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों के पश्चात् करेगा।
- 5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, अंदमान और निकोबार की सहायता करने के लिए अंदमान और निकोबार राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, अंदमान और निकोबार कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
  - (1) डॉ. एन.वी.विनीत कुमार, -अध्यक्ष; टाइप-5 क्वार्टर्स, एससीओएसटी कैम्पस, एनआईओटी, इंडस्ट्रीयल एस्टेट रोड, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर-744103
  - (2) डॉ. जयंत कुमार मिश्रा, -सदस्य; विभागाध्यक्ष समुद्र अध्ययन और समुद्री जीवविज्ञान, पोंडिचेरी विश्वविद्यालय (ब्रूकशबद कैम्पस), पीओ-चक्कर गांव, पोर्ट ब्लयेर-744101
  - (3) डॉ. आर. मोहन राजू, -सदस्य; समुद्र अध्ययन और समुद्री जीवविज्ञान, पोंडिचेरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर-744101
  - (4) डॉ. चंद्रकासन सिवपेरुमन, -सदस्य ; वैज्ञानिक 'ई' और कार्यालय प्रभारी, भारतीय जंतुविज्ञान सर्वेक्षण, अंदमान और निकोबार क्षेत्रीय केन्द्र, हद्दो, पोर्ट ब्लेयर-744 102
  - (5) डॉ. लालजी सिंह, -सदस्य; संयुक्त निदेशक और वैज्ञानिक 'ई' भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, अंदमान और निकोबार क्षेत्रीय केन्द्र, हद्दो, पोर्ट ब्लेयर-744102
  - (6) डॉ. कंदीमुथु, -सदस्य; डॉ. प्रेम किशन हाउस, एफसीआई गोदाम के सामने, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर-744103

(7) श्रीमती रीटा विश्वास, व्याख्याता, डॉ. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, पोर्ट ब्लेयर

-सदस्य;

(8) सदस्य सचिव, अंदमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति, पोर्ट ब्लेयर

-सचिव।

- 6. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, अंदमान और निकोबार के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- 7. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, अंदमान और निकोबार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में प्रगणित किया जाए।
- 8. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, अंदमान और निकोबार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।
- 9. अंदमान और निकोबार सरकार, प्राधिकरण, अंदमान और निकोबार और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमिति, अंदमान और निकोबार के सिचवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और प्राधिकरण, अंदमान और निकोबार और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमिति, अंदमान और निकोबार के कानूनी कृत्यों के संबंध में सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता, जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं हैं, उपलब्ध कराएगी।
- 10. प्राधिकरण, अंदमान और निकोबार और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, अंदमान और निकोबार के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता अंदमान और निकोबार राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदेय किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/157/2012-आई.ए.-II(I)] अरविंद नौटियाल, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2019

**S.O. 3701(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Andaman and Nicobar (hereinafter referred to as the Authority, Andaman and Nicobar) comprising of the following Members, namely:—

Dr. P. M. Mohan,
 Head of the Department,
 Department of Ocean and Marine Biology, Pondicherry
 University (Andaman Campus), Port Blair - 744112.

-Chairman;

-Chairman;

-Member;

-Member;

-Member:

-Member;

2. Mrs. Pearl Devdas. -Member:

S-3, Sunrise Apartments, Dudh Line, Shadipur, Port Blair - 744106.

3. Director, -Member - Secretary.

Science and Technology,

Andaman and Nicobar Administration,

Port Blair.

- 2. The Chairman and Members of the Authority, Andaman and Nicobar shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 3. The Authority, Andaman and Nicobar shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
- 4. The Authority, Andaman and Nicobar shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Andaman and Nicobar.
- 5. For the purpose of assisting the Authority, Andaman and Nicobar, the Central Government in consultation with the State Government of Andaman and Nicobar, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as SEAC, Andaman and Nicobar) comprising of the following Members, namely:-
  - (1) Dr. N. V. Vinith Kumar,
    Type-V-quarters, ACOST Campus, NIOT, Industrial
    Estate Road, Dollygunj,
    Port Blair 744103.
  - (2) Dr. Jayant Kumar Mishra, Department of Ocean Studies and Marine Biology, Pondicherry University (Brookshabad Campus), P.O. Chakkar Gaon, Port Blair - 744101.
  - (3) Dr. R. Mohan Raju, Department of Ocean Studies and Marine Biology, Pondicherry Central University, Port Blair - 744101.
  - (4) Dr. Chandrakasan Sivaperuman, Scientist 'E' & Officer-in-Charge, Zoological Survey of India, Andaman and Nicobar Regional Centre, Haddo, Port Blair - 744102.

Botanical Survey of India,

(5) Dr. Lal Ji Singh, -Member;
Joint Director and Scientist 'E'

Andaman and Nicobar Regional Centre, Haddo, Port Blair - 744102.

(6) Dr. Kandi Muthu, Dr. Prem Kishen's House, Opposite FCI Godown, Dollyguni, Port Blair - 744103.

(7) Smt. Rita Biswas, -Member;

Lecturer,
Dr. Ambedkar Institute of Technology,
Port Blair

(8) Member Secretary, - Secretary.

Andaman and Nicobar Pollution Control Committee,

Port Blair.

6. The Chairman and Members of SEAC, Andaman and Nicobar shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

- 7. The SEAC, Andaman and Nicobar shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
- 8. The SEAC, Andaman and Nicobar shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.
- 9. The Government of Andaman and Nicobar shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Andaman and Nicobar and SEAC, Andaman and Nicobar and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.
- 10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Andaman and Nicobar and SEAC, Andaman and Nicobar shall be paid as per the rules of the State Government of Andaman and Nicobar.

[F. No. J-11013/157/2012-IA-II (I)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.